न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 24/2023 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2023/27)

ओमप्रकाश व नरेशचन्द्र पुत्रगण खेमचन्द जाति जाट निवासी करणी नगर, लालगढ़ बीकानेर।

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा (हनुमानगढ)

रेस्पोर्डेंट

उपस्थितः 1. श्री विजय भादणी – अभिभाषक अपीलान्ट
2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 29.11.2023**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार (भू.अ.) भादरा (हनुमानगढ) के निर्णय दिनांक 17.11.2021 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ओमप्रकाश व नरेशचन्द्र ने तहसीलदार भादरा में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सेरडा तहसील भादरा में कृषि भूमि खसरा नं. 151/2 में 4.3690 हैक्अर एव खसरा नं. 555 में 1.0440 हैक्टर कुल 5.438 हैक्टर बिरानी कृषि भूमि हमारे पिता खेमचन्द के नाम थी, उनके द्वारा उक्त भूमि की वसीयत हमारे हक में कर दी थी, हमारे पिता जी खेमचन्द का स्वर्गवास दिनांक 09.01.2015 को हो चुका है। वसीयत के आधार पर उक्त भूमि का नामान्तकरण हमारे नाम दर्ज करवाने के आदेश फरमावे। जिस पर तहसीलदार भादरा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17.11.2021 द्वारा उक्त भूमि पैतृक अर्थात विरासतन मानते हुए वसीयत पत्रावली निरस्त कर दी। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया गया।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।
4. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट्स के पिता के नाम वाके ग्राम सेरड़ा के खसरा नं. 151/2 व 555 में कुल 5.413

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

हैक्टेयर भूमि खातेदारी की थी, अपीलान्ट्स के पिता ने उक्त भूमि की वसीयत रजिस्ट्र्ड दिनांक 05.11.2014 को अपीलान्ट्स के पक्ष मे कर दी । अपीलान्ट्स के पिता का स्वर्गवास दिनांक 09.01.2015 को हो चुका है इस कारण यह वसीयत दिनांक 09.01.2015 से प्रभाव मे आ चुकी है। अपीलान्ट्स ने वसीयत के आधार पर उक्त भूमि का इन्तकाल अपने नाम चढाने का प्रार्थना पत्र तहसीलदार भादरा को पेश किया जिसे पुश्तैनी भूमि मानकर खारिज कर दिया। पटवारी रिपोर्ट में पुश्तैनी भूमि बताई गई है जबकि इस बाबत् कोई ऐतराज किसी भी पक्षकार द्वारा नही किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को केवल वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का अधिकार है, वसीयत करने का अधिकार है या नही इस बिन्दु का निर्णय करने का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नही है। रजिस्ट्र्ड वसीयत एक पंजीबद्व दस्तावेज है उसे देखने का अधिकार सिविल न्यायालय को है, राजस्व न्यायालय को नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 39 के तहत कोई भी खातेदार अपने हिस्से की भूमि की वसीयत कर सकता है। धारा 40 के तहत निंवसीयती व्यक्ति के ही उत्तराधिकारियो को उत्तराधिकार अधिनियम के तहत सम्पति मिलती है। अपीलान्ट ने अपील के साथ पास बुक, जमाबन्दी पेश की है। हिन्दु एक्ट के तहत पुश्तैनी भूमि की वसीयत पर रोक नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट्स को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का एक भी मौका नही दिया गया। अतः अपील जानकारी से अन्दर मियाद शुमार कर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाया जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रश्नगत अपील तहसीलदार (भू.अ.) भादरा के निर्णय दिनांक 17.11.2021 के विरूद्व पेश की गई है, जिसमें उक्त भूमि पैतृक मानते हुए अपीलान्ट की वसीयत पत्रावली

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निरस्त की गई है, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया कि हल्का पटवारी शेरड़ा द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 6.8.2021 में अंकित किया कि ग्राम शेरड़ा की जमाबन्दी संवत 2075–2078 के खाता नं. 67/64 के खं. नं. 151/2, 555 कुल किता 2 रकबा 5.413 है. बारानी कृषि भूमि खेमचन्द पुत्र उदमी कौम जाट के नाम से राजस्व रिकार्ड दर्ज है। उपरोक्त भूमि वसीयतकर्ता की पैतृक भूमि है जो कि विरासतन मिली हुई है। अपीलान्ट्स द्वारा भी अपीलाधीन आदेश के विरूद्व प्रस्तुत अपील में या वरवक्त बहस में ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नही किया गया है जिसे यह माना जा सके की उक्त भूमि वसीयतकर्ता की स्वअर्जित भूमि है। धारा 39 राजस्थान काश्तकारी अंधिनियम अनुसार'' खातेदार आसामी अपने भूमि–क्षेत्र मे अपने हित को या हितांश को उस व्यक्तिगत कानून के अनुसार जिसके कि वह अधीन है, अंतिमेच्छा–पत्र के द्वारा वसीयत मे दे सकता है।'' उक्त भूमि पैतृक होने के कारण इस पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधान लागू होगे। हस्तगत प्रकरण में विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्त के तहत उक्त भूमि में खातेदार के विधिक वारिसान का हक/हिस्सा होगा। ''हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारम्भ से ही मिताक्षरा विधि द्वारा शासित किसी संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब में किसी सहदायिक की पुत्री सहदायिकी संपत्ति मे उसे वही अधिकार प्राप्त होगे जो उसे तब प्राप्त हुए होते जब वह पुत्र होती।'' वसीयत कर्ता द्वारा वसीयत में 2 पुत्र व 2 पुत्री होना प्रतिवेदित किया है जबकि पैतृक भूमि/संपत्ति की वसीयत केवल 2 पुत्रो के पक्ष मे निष्पादित की हुई पाई गई है, अतः हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.11.2021 में किसी प्रकार की त्रुटि नही पाए जाने के कारण उसमे हस्तक्षेप की गुंजाईश प्रतीत नही होती है, लिहाजा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 29.11.2023 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ.पी. बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर